



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126826

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 17357 वर्ष 2026

आलोकआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संदीप कुमार शुक्ला, जाहिद खान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : राजकीय अधिवक्ता, महेंद्र सिंह

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप कुमार शुक्ला, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह की ओर से उपस्थित श्री रौनक सिंह तथा राज्य के लिए विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से विचारण के लंबित रहने के दौरान पुलिस थाना- ज़रीफ़ नगर, जिला- बदायूं में पंजीकृत अपराध संख्या 317 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2), 105, 118(1), 117(3), 110 के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक का नाम न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही सूचनाकर्ता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक का नाम लिया है। यह निवेदन किया गया है कि किसी घायल या मृतक को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। आवेदक 26.12.2025 से जेल में निरुद्ध है और आवेदक का कोई दांडिक इतिहास नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 18941 वर्ष 2026 (प्रमोद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पारित आदेश दिनांक 03.06.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। वह वचन देता है कि यदि समानता के आधार पर जमानत दी जाती है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबन के कारण, विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत प्रदान करने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह निवेदन किया गया है कि आवेदक और अन्य अभियुक्तों ने प्रथम सूचनाकर्ता पक्ष पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप पांच व्यक्ति घायल हो गए और एक घायल व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई है तथा रिपोर्ट के अनुसार उसकी चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, आवेदक के सह-अभियुक्त को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है, और मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

पूर्वोक्त अपराध ने अंतर्ग्रस्त आवेदक- आलोक को 50,000/- रुपये का वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) वाद खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनबंध दाखिल करेगा कि जब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षी विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह कोई अनावश्यक स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहकर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

जून 11, 2026

बृजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"